


फर्द अहकाम

अज अदालत मुकाम

..... बनाम शिवनाथराज

किस्म मुकदमा नं. सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
14.9.21	<p>वकील उपायुक्त द्वारा वकील अयोग्य के अयोग्य गराया कि उन्मरण से संबंधित मूल शैब का अन्तिम विस्तारण है हुकम है कि जो देश की अन्तिम आचरण में मूल शैब के विस्तारण होने से इस्तग्राह अयोग्य अन्तर्गत धारा 225 प्रावधान है हुकम है कि जो: अयोग्य अयोग्य इसी स्तर पर प्रावधान में खारिज की जाते हैं। पञ्जाब प्रेसन शुमार की जानत अन्तर्गत से जोर की जाते, बाद जाका राजिबल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">  हुकमन्य अधिकारी। पदेम अयोग्य अयोग्य अधिकारी अन्तर्गत अन्तर्गत-अन्तर्गत </p>	